26 OCT 2018 प्राप्ति तिथि बिहार, पटना

कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल, उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, द्वारा दिनांक– 25.10.2018 को नगर परिषद औरंगाबाद में क्षेत्र भ्रमण / स्थल निरीक्षण एवं समीक्षात्मक बैठक की टिप्पणी :–

दिनांक– 25.10.2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश सं०–3725 / दिनांक–17.07.2018 के आलोक में नगर परिषद् औरंगाबाद में समीक्षात्मक बैठक की गई एवं स्थल निरीक्षण भी किया गया। समीक्षात्मक बैठक एवं स्थल निरीक्षण में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी, कनीय अभियंता तथा कई नगर पार्षदगण उपस्थित हुए।

1. <u>हर घर नल जल निशचय योजना</u> –

नगर परिषद् औरंगाबाद क्षेत्रान्तर्गत जलापूर्ति योजना BRJP पटना द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया इस योजना के तहत कुल 8 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है। कुछ वार्डों में पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। रामाबांध बस स्टैंड के पास जल मीनार का कार्य प्रगति पर है जिसका मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया गया। दूसरे जल मीनार हेतु स्थल चयनित कर लिया गया है और इससे BRJP को अवगत करा दिया गया है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि BRJP द्वारा कराये जा रहे कार्य की प्रगति धीमी है, अत: उन्हें कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया जा सकता है।

मुख्य पार्षद द्वारा अवगत कराया गया कि इस निकाय में प्रथम चरण में मात्र 7 वार्ड में कार्य चल रहा है। द्वितीय चरण में शेष 26 वार्ड को लिया गया है, परन्तु अब तक BRJP द्वारा इसका निविदा नहीं कराया गया है। गर्मी के दिनों में इस शहर में पेयजलापूर्ति की काफी समस्या हो जाती है। इस हेतु मुख्य पार्षद ने द्वितीय चरण में लिए गये वार्डों के लिए BRJP द्वारा शीघ्र निविदा कराकर कार्यान्वयन कराने हेतु अनुरोध किया गया।

2. <u>नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना</u> –

नगर परिषद् औरंगाबाद में दो चरणों में कुल 53 योजनाओं की निविदा निकाली गई थी जिनमें से 40 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका हैं जिससे 2657 घर लाभान्वित हो चुके है। शेष 13 योजनाओं में कार्य प्रारंभ हैं जो लगभग 80% पूर्ण हो चुका है। शहर के 7 (सात) वार्ड पूर्ण रूप से नाली गली निश्चय योजना से आच्छादित हो चुके हैं। तीसरे चरण में 24 योजनाओं का निविदा निकाला गया है जिसका निस्तारण प्रक्रियाधीन है। अबतक कुल उपलब्ध राशि का 86.87 प्रतिशत राशि व्यय हो चुका है। प्रगति संतोषजनक पाया गया।

3. <u>स्वच्छ भारत मिशन</u> –

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर परिषद औरंगाबाद को Third Party Inspection उपरांत QCI की Team द्वारा ODF घोषित किया जा चुका है। कुछ लाभार्थियों के खाते में द्वितीय क़िस्त की राशि अबतक नहीं भेजी जा सकी है। इस सन्दर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्य में प्रगति लाने हेतु कई टीमों का गठन किया गया है और यह टीम क्रियाशील है, निदेश दिया गया कि टीम को और अधिक सक्रिय कर अवशेष कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया जाय।

29 OCT 2018

डोर–टू–डोर कचरा का संग्रहण सफलतापूर्वक शत प्रतिशत सभी 33 वार्डों में किया जा रहा है। डंपिंग जोंन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी

को पत्राचार किया गया है। स्थल निरीक्षण के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगामी दीपावली एवं छठ के अवसर पर विशेष सफाई अभियान चलाने एवं फोगिंग की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।

4. सबके लिए आवास योजना –

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस योजना के अंतर्गत Phase–I में 42 के विरुद्ध 38 एवं Phase–II में 338 के विरुद्ध 45 को तृतीय क़िस्त दिया गया हैं।

स्थिति इस प्रकार हैं :–

Phase	Sanctioned	MIS Entry	1st Installment	2nd Installment	3rd Installment
Phase I	42	42	39	38	38
Phase II	338	338	183	143	45

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि Phase–I के तहत कुल स्वीकृत 42 DUs में से 3 (तीन) एवं Phase–II तहत कुल स्वीकृत 338 DUs में से 95 DUs विभिन्न कारणों से सरकार को प्रत्यर्पित कर दिया गया है। शेष 243 DUs में कार्य प्रगति पर है। सबके लिए आवास योजना में नगर परिषद औरंगाबाद की प्रगति में शीघ्र अपेक्षित सुधार का निदेश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस निकाय में फेज– I के लिए मात्र 25.66 लाख का सहायक अनुदान प्राप्त हुआ था और फेज– II के लिए 290.40 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। सम्पूर्ण राशि व्यय हो चुका है तथा चल रहे कार्यों को पूरा कराने हेतु 247.94 लाख सहायक अनुदान उपलब्ध कराने हेतु विभाग को पत्रांक– 1370 दिनांक– 25.09.2018 एवं पत्रांक– 1447 दिनांक– 11.10.2018 द्वारा अधियाचना भेजी गयी है। कई लाभुकों द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु निधि के अभाव में उन्हें क़िस्त का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि अधियाचित राशि का आवंटन शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

5. राज्य योजना –

- राज्य योजना अंतर्गत पथ निर्माण की एक योजना वार्ड सं०–13 में मृत्युंजय सिंह से राजाराम एवं रुस्तम अली होते टिकरी रोड पानी टंकी तक PCC पथ एवं नाली निर्माण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि 131.20 लाख है, का कार्य पूर्ण हो चुका है। अंतिम विपत्र अप्राप्त है।
- नाला निर्माण मद में एक योजना टिकरी रोड में NH2 बाईपास से अवशेष नाला निर्माण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि 44.56 लाख है। इसमें अबतक मात्र 18.91 लाख व्यय हुआ है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्थानीय विवाद एवं बरसात के कारण कार्य बाधित था। वर्तमान में कार्य चल रहा है। इसे शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया गया।

  कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि शहर के लिए प्रमुख शाहपुर नाला निर्माण से सम्बंधित प्राक्कलन तकनिकी स्वीकृति हेतु BUDA को भेजा गया है।
- कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके पत्रांक– 1052 दिनांक– 28.07.2018 द्वारा Outfall Drain का निर्माण हेतु 3 (तीन) योजनायें विभाग को समर्पित करते हुए राज्य योजना मद से प्रशासनिक स्वीकृति सहित आवंटन की मांग की गई है। यह शहर की अति महत्वकांक्षी योजना है और इसके क्रियान्वयन से शहर की एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी।
- मुख्य पार्षद द्वारा बताया गया कि पत्रांक– 812 दिनांक– 24.08.2017 द्वारा राज्य योजना मद अंतर्गत कुल 8 पथ निर्माण की योजना नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी गयी थी, जिसे विभागीय पत्रांक– 5454 दिनांक– 23.10.2018 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाई हेतु इस

कार्यालय को लौटाई गयी है। उन्होंने अनुरोध किया कि नगर परिषद में उपलब्ध निधि द्वारा इसे करा पाना संभव नहीं है। अतएव इसे राज्य योजना मद अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति सहित निधि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

6. **सम्राट अशोक भवन –**

सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु 67.62 लाख का आवंटन इस निकाय को प्राप्त है। जिसका प्राक्कलन तैयार कराकर तकनिकी स्वीकृति हेतु BUDA को भेजा गया है।

7. **स्ट्रीट लाईट –**

उपस्थित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं अन्य नगर पार्षदगणों ने एक स्वर से यह कहा कि इस निकाय में अबक EESL द्वारा न तो सर्वे का कार्य किया गया है और न ही इस दिशा में कोई अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। फलतः दशहरा एवं मुहर्रम के अवसर पर उन्हें नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ा है। इनलोगों ने सामूहिक रूप से यह अनुरोध किया कि दीपावली एवं छठ को देखते हुए EESL को अविलम्ब कार्य आरम्भ करने का निदेश देने की कृपा की जाय। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा EESL के बिहार के प्रभारी श्री राकेश कुमार यादव से दूरभाष पर बात भी की गयी।

8. **NULM योजना –**

- नगर परिषद् औरंगाबाद में DAY NULM के तहत कुल– 236 SHG का गठन किया गया है। 109 SHG को RF का वितरण किया गया है।
- इस वित्तीय वर्ष में EST&P के तहत कुल– 40 लाभार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है।
- SEP–I के तहत 10 लाभुकों को लोन का लाभ दिलवाया गया है। पूर्व में 61 लाभुको को लोन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी।
- SUSV के तहत Town Vending Committee के सदस्यों के द्वारा Committee भंग कर दिया गया था, जिस कारण Town Vending Committee का गठन नहीं हो पाया। पुनः गठन करने हेतु निदेशित किया गया।

9. **होल्डिंग कर –**

नगर परिषद् औरंगाबाद में करारोपित कुल होल्डिंगों की संख्या– 11084 हैं। अबतक वसूली कुल– 30 प्रतिशत हैं जो चालू वित्तीय वर्ष के वसूली के लक्ष्य से काफी कम है। वसूली हेतु विशेष अभियान चलाने का निदेश दिया गया। साथ ही Other Source से Revenue को भी बढ़ाने हेतु प्रयास करने के लिए निदेशित किया गया।

10. **लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन हेतु 15 दिनों का समय कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया।**

11. **अनुसूचित जाति टोले का भ्रमण –**

कार्यपालक पदाधिकारी एवं स्थानीय वार्ड पार्षदों के साथ वार्ड–13 महल्ला मिनी बिगहा स्थित अनुसूचित जाति बहुल टोले का भ्रमण किया गया। भ्रमण के क्रम में लाभुक श्री मुन्ना राम पिता श्री रामचन्द्र राम, नन्दलाल राम पिता श्री रामचन्द्र राम, शत्रुधन राम पिता रामचन्द्र राम, रामजीवन राम पिता कृत राम, जगजीवन राम पिता रामकृत राम के सबके लिए आवास योजना अंतर्गत निर्मित मकान का निरीक्षण किया। पूछताछ में इनलोगों ने बताया कि इन्हें तीनो क़िस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है।

इसी प्रकार लाभुक अंजू देवी पति बिरजू पासवान महल्ला मिनी बिगहा, बीगा देवी पति वसंत राम महल्ला टिकरी रोड, श्यामा कुमारी पति राजकपूर राम महल्ला मिनी बिगहा, मीना

देवी पति राजू रजक महल्ला टिकरी मोड़, मालती देवी पति शिवशंकर राम महल्ला शाहपुर बिगहा के शौचालय का निरीक्षण किया। पूछताछ में इनलोगो ने बताया कि इन्हें दोनों क़िस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है।

12. स्थापना –

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस निकाय में कनीय अभियंता / सहायक अभियंता का कोई पद स्वीकृत नहीं है। जिला शहरी विकास अभिकरण, औरंगाबाद में भी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता उपलब्ध नहीं है। फलतः अन्य विभागों से कनीय अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति कराकर कार्य कराया जा रहा है, जिस कारण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी औरंगाबाद, नगर परिषद् औरंगाबाद के अतिरिक्त दाउदनगर नगर परिषद् के भी प्रभार में हैं। दो-दो प्रभार रहने एवं दोनों निकायों की दूरी अधिक होने के कारण उनके द्वारा दाउदनगर नगर परिषद के प्रभार से मुक्त होने का अनुरोध किया गया है। उक्त पर विभागीय स्तर पर समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

26/10/18
(कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल)
उप सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5527/ न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक–26/10/18

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

26/10/18
उप सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5527/न०वि०एवंआ०वि०/पटना,दिनांक–26/10/18

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, हर घर नल जल निश्चय योजना / नोडल पदाधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन / नोडल पदाधिकारी, सबके लिए आवास योजना / नोडल पदाधिकारी, नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना / निदेशक, नगरपालिका प्रशासन, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/18
उप सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5527/न०वि०एवंआ०वि०/पटना,दिनांक–26/10/18

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/18
उप सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग